राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

परिपत्र संख्या-22 /2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक- जुलाई 14 ,2025

विषय- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अनुसार अपराध से अर्जित सम्पत्ति की पहचान, कुर्की, जब्ती एवं वापसी प्रक्रिया।

प्रिय महोदया/ महोदय,

आप सभी को अवगत कराना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अनुसार किसी अपराधी द्वारा **आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती और वापसी के सम्बन्ध** में प्रक्रिया वर्णित की गयी है। अपराधियों में भय कारित करने एवं अपराध से विरत रहने के उद्देश्य से अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने के फलस्वरूप अर्जित की गई सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। *पूर्व में भी इस सम्बन्ध में मुख्यालय से परिपत्र संख्या 44/2024 एवं 03/2025 निर्गत किये गये है।*

आप सहमत होगें कि विवेचना के दौरान यदि विवेचक को ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि अभियुक्त द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से आपराधिक कृत्य के माध्यम से सम्पत्ति अर्जित की गई है तो उसके विरूद्ध धारा 107 बीएनएसएस में निहित प्राविधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि अपराधी एवं उसके सहयोगी आर्थिक रुप से कमजोर हो जायें। सर्वप्रथम ऐसी अर्जित सम्पत्ति की पहचान की जानी चाहिये जो आपराधिक क्रिया कलापों से अर्जित की गयी हो। ऐसी सम्पत्ति निम्न प्रकार की हो सकती है-

- चल (जैसे वाहन, नकदी)
- अचल (जैसे ज़मीन, भवन)
- मूर्त/अमूर्त (जैसे शेयर, क्रिप्टो, ब्रांड वैल्यू)

अपराध से अर्जित सम्पत्ति की पहचान निम्न तरीकों से की जा सकती है: -

1. अपराधी की अपराध जगत में आने से पहले और बाद की संपत्ति में असामान्य वृद्धि होना।
2. किसी व्यक्ति की आय से अधिक मूल्य की संपत्ति पाया जाना।
3. अपराधी व्यक्ति के मूल निवास की तुलना में अधिक आलीशान जीवन शैली अपनाना।
4. अपराधी के परिवार, मित्र, साझेदार व सहयोगियों के नाम पर संपत्ति की जाँच द्वारा।
5. अपराधी द्वारा बेनामी संपत्ति या रिश्तेदारों के नाम पर अर्जित सम्पत्ति का विवरण।
6. संपत्ति खरीदने के दस्तावेजों और उसके भुगतान के स्रोतों की जाँच।
7. सम्पत्ति के रख-रखाव हेतु खर्च किये जाने वाले धन के स्रोत की जाँच।
8. अपराधी एवं उसके मित्रों, परिवारीजनों, रिश्तेदारों तथा सहयोगियो द्वारा बैंकों में संदिग्ध लेन-देन या इनकम टैक्स डिटेल्स की जाँच।
9. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जाँच कराकर संपत्ति का पुष्टिकरण।
10. ऐसी सम्पत्ति जिसके स्रोत का पता लगाना सम्भव न हो अथवा सम्पत्ति का स्रोत संदिग्ध हो।

11. यदि किसी सम्पत्ति का बार-बार स्वामित्व परिवर्तन हो या बाजार मूल्य से कम कीमत पर बिक्री की जाये।
12. यदि किसी संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत न हो कर व्यवसायिक रूप से किया जाये।
13. यदि किसी व्यक्ति के बैंक खाते में अचानक असामान्य एवं बड़े लेन-देन का होना।

अपराधिक गतिविधियों से अर्जित सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया के दो प्रमुख उद्देश्य -

1. आरोपी को अपराध के लिए जबावदेह ठहराते हुए कानूनी प्रक्रिया अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।
2. अपराधी को अपराध से अर्जित लाभों एवं परिणामों से वंचित करना ताकि अन्य व्यक्ति अपराध करने से डरे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 107 के अनुसार जाँच अधिकारी निम्नवत प्रक्रिया का पालन करेगा:-

1. जाँच अधिकारी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप या अपराध की आय के परिणाम स्वरुप प्राप्त हुई है ऐसी सम्पत्ति के दस्तावेज प्राप्त करने हेतु कार्यवाही के दौरान उचित सतर्कता व गोपनीयता बरती जाए।
2. *ऐसी सम्पत्ति की पहचान होने पर जाँच अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त से कुर्की की कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाए।*
3. जाँच अधिकारी ऐसी सम्पत्ति की पहचान होने पर व अनुमोदन प्राप्त हो जाने के फलस्वरुप सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन करेगा।
4. ***ऐसी सम्पत्ति से संबंधित सभी जानकारी, जाँच अधिकारी मय आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन के तथ्यों को प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय के समक्ष अनुरोध करेगा।***
5. ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष आवेदन के समय जाँच अधिकारी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों / दावेदारों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जिन्हें उक्त सम्पत्ति वितरित की जानी हो।
6. आवेदन के पश्चात न्यायालय अपनी संतुष्टि पर कि ऐसी सम्पत्तियां आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय 14 दिवस में जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। जाँच अधिकारी को नोटिस प्राप्त कर, आरोपी/दावेदार को नोटिस की तामील के लिए सभी प्रयास करने होगें यदि ऐसी पहचान की गई सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास है तो नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी।
7. ऐसे अभियुक्त / आरोपी / दावेदार द्वारा न्यायालय में स्पष्टीकरण पेश करने या ऐसे व्यक्ति को उचित अवसर दिये जाने के पश्चात जाँच अधिकारी अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पक्ष में सभी संभावित साक्ष्य अपने पक्ष को रखने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें ताकि न्यायालय उक्त सम्पत्ति को अपराध की आय मानकर उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित कर सके।

8. *न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट 14 दिवस की अवधि में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से एकपक्षीय आदेश जारी करने के लिए निवेदन किया जा सकता है।*
9. यदि जाँच अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस जारी करने से आवेदन दाखिल करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो *जाँच अधिकारी बीएनएसएस 2023 की धारा 107(5) के प्राविधान के अनुसार न्यायालय या मजिस्ट्रेट से एकपक्षीय आदेश पारित करने का अनुरोध करेगा* और न्यायालय की यह राय है कि नोटिस जारी करने से कुर्की, जब्ती का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो न्यायालय कुर्की / जब्ती का आदेश पारित करते हुए एकपक्षीय अंतरिम आदेश कर सकता है।
10. न्यायालय को यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि कुर्क / जब्त की गई सम्पत्ति आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप अर्जित की गई है तो जाँच अधिकारी न्यायालय से अनुरोध करेगा कि वह संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अपराध की ऐसी आय को ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों में आनुपातिक रूप से वितरित करने का निर्देश दे।
11. *न्यायालय के आदेश को जाँच अधिकारी बिना देरी किए जिला मजिस्ट्रेट से 60 दिवस के भीतर अपराध की आय को पीड़ित व्यक्तियों में वितरित करने हेतु अनुरोध करेगा।*
12. यदि ऐसी आपराधिक आय पर दावा करने के लिए कोई दावेदार / पीड़ित उपस्थित नहीं होता है तो अपराध की ऐसी आय राजकोष में जब्त हो जाऐगी और जाँच अधिकारी अविलम्ब अपराध की ऐसी आय को राजकोष में जमा कराने का प्रयास करेगा।
13. सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी की कार्यवाही किसी भी स्तर पर प्रारम्भ की जा सकती है।

मैं चाहूँगा। कि आप सभी बीएनएसएस की धारा 107 में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों का भली-भाँति अध्ययन करके जनपद में एक कार्यशाला के माध्यम से अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं विवेचकों को विस्तार से अवगत कराकर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राजीव कृष्णा) 14/8

1. **समस्त पुलिस आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।